संख्या-60/2022/927/26-3-2022-1000/2018

प्रेषक,

अशोक कुमार यादव,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
समाज कल्याण,
उ0प्र0, लखनऊ

समाज कल्याण अनुभाग-3 लखनऊः दिनांकः 18 मई 2022

विषयः-अति पिछड़े अनुसूचित जाति समूह बाहुल्य ग्रामों के सर्वांगीण विकास हेतु संचालित एकीकृत विकास योजना के अंतर्गत जनपद महराजगंज के विभिन्न ग्रामों में विकास कार्य कराये जाने हेतु शासनादेश दिनांक-17.12.2021 द्वारा निर्गत वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-95-97/स0क0/विकास/एकीकृत-54/2022-23, दिनांक-28.04.2022 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से शासनादेश संख्या-151/2021/3638/26-3-2021-1(16)/2021, दिनांक-17.12.2021 द्वारा जनपद- महराजगंज के विकासखण्ड-परतावल व घुघली के कुल-04 ग्रामों-बेलवा बुजुर्ग, रामपुर उपाध्याय, विश्वनाथपुर एवं महावनखोर उर्फ बड़हरा हेतु स्वीकृत धनराशि रू0-87.66 लाख कार्यदायी संस्था यू0पी0सिडको को स्थानान्तरित न किये जाने के कारण उक्त शासनादेश दिनांक-17.12.2021 को निरस्त करने तथा उक्त धनराशि को चल वित्तीय वर्ष 2022-23 से स्वीकृत किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2- प्रबन्ध निदेशक, यू0पी0सिडको के पत्र संख्या-5433/6-3(60)/स0क0-ए0वि0यो0 सामान्य/2021, दिनांक-12.11.2021 द्वारा कतिपय ग्रामों का विकास कार्य यू0पी0सी0एल0डी0एफ0 द्वारा न कराये जाने के कारण कुल धनराशि रू0-87.66 लाख अवमुक्त किये जाने का अनुरोध किया गया, जिसके क्रम में शासनादेश दिनांक-27.12.2021 के माध्यम से उक्त धनराशि की स्वीकृति प्रश्नगत ग्रामों के विकास कार्यो हेतु प्रदान की गयी थी।

3- निदेशक, समाज कल्याण के सन्दर्भित पत्र दिनांक-28.04.2022 द्वारा यह इंगित किया गया है कि कतिपय ग्रामों का विकास कार्य यू0पी0सी0एल0डी0एफ0 द्वारा सम्पन्न कराया जा चुका है तथा शासनादेश दिनांक-22.06.2021 के अनुसार शेष कार्य उक्त कार्यदायी संस्था द्वारा सम्पन्न कराया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.gov.in

अतः इस सम्बन्ध में सम्यक विचारोपरान्त मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासनादेश संख्या-151/2021/3638/26-3-2021-1(16)/2021,दिनांक-17.12.2021 को निरस्त किया जाता है।

भवदीय
अशोक कुमार यादव
अनुसचिव

पृ0संख्या-60/2022/927(1)/26-3-2022 तददिनांक-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार,(लेखा एवं हकदारी)प्रथम एवं द्वितीय, उ0प्र0,प्रयागराज।
2- महालेखाकर (लेखा परीक्षा) प्रथम एवं द्वितीय उ0प्र0प्रयागराज।
3- निदेशक, स्थानीय निधि, लेखा परीक्षा विभाग, उ0प्र0प्रयागराज।
4- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
5- जिलाधिकारी/जिला समाज कल्याण अधिकारी, महराजगंज।
6- प्रबन्ध निदेशक, यू0पी0सिडको, विभूतिखण्ड, गोमतीनगर, लखनऊ।
7- प्रबन्ध निदेशक, यू0पी0सी0एल0डी0एफ0, 29 कबीर मार्ग, (निकट योजना भवन) क्ले स्क्वायर, लखनऊ।
8- वित्त नियंत्रक, निदेशालय, समाज कल्याण, उ0प्र0 लखनऊ।
9- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-4 उ0प्र0 शासन।
10 निदेशक, एन0आई0सी0योजना भवन, लखनऊ।
11- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

अशोक कुमार यादव
अनुसचिव

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।